आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department

State 4 percent interest refund on short-term working-capital loans to fishers (Kisan Credit Card)

महाराष्ट्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड वाले मछुआरों और मत्स्य पालकों के 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक बैंक कर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज वापस करती है, अगर वे एक साल के भीतर कर्ज चुका दें।

क्या मिल सकता है

राज्य 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कार्यशील पूंजी कर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज वापस करता है। केंद्र के नियमों में बैंक 7 प्रतिशत लेता है, केंद्र 3 प्रतिशत लौटाता है और मछुआरा 4 प्रतिशत देता है। राज्य का यह रिफंड इसके अलावा है, उन कर्जों पर जो एक साल के भीतर पूरे चुका दिए जाएं।

किसके लिए है

मछुआरे, मत्स्य पालक, मछली के बीज उत्पादक, मत्स्य प्रबंधक और मछली की छंटाई, पैकिंग व भंडारण करने वाले, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है।

मुख्य शर्तें

- मछुआरे या मत्स्य व्यवसायी के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड हो।
- कर्ज 2 लाख रुपये तक का अल्पकालिक कार्यशील पूंजी कर्ज हो।
- पूरा कर्ज निकालने की तारीख से एक साल के भीतर चुका दिया जाए।
- कर्ज राष्ट्रीयकृत, निजी, ग्रामीण या जिला सहकारी बैंक से मिला हो।

आवेदन कैसे करें

1. अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक से कार्यशील पूंजी कर्ज लें। राज्य को अलग से आवेदन नहीं करना है।
2. आपका बैंक आपका रिफंड आवेदन जिला उप निबंधक सहकारी संस्था को भेजता है।
3. कर्ज मिलने में दिक्कत हो तो अपने जिले के सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय से संपर्क करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3f1e2b2c9255d552500a833ac828cd635/uploads/2025/11/20251106173932 9994.pdf
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3f1e2b2c9255d552500a833ac828cd635/uploads/2025/11/20251106173932 9994.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-fisheries-kcc-interest-refund/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।